जय सिंह सेखों, जे. के समक्ष

टेक चंद जैन और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 3042

4 जून 1990.

भारतीय संविधान, 1950—अनुच्छेद 14 और 16—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966—धारा 82(6)—पंजाब ट्रेजरी स्थापना अधीनस्थ सेवा (श्रेणी III) नियम, 1962—नियम 7—हरियाणा वित्त विभाग ट्रेजरी (समूह बी) सेवा नियम, 1980—नियम 9—1980 के नियम सेवा की शर्तों पर विपरीत प्रभाव–केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं होने का प्रभाव–राज्य द्वारा 1962 के नियमों में निहित कोटा नियम को अपनाना–ऐसे नियम का अचानक विचलन–राज्य की कार्रवाई भेदभावपूर्ण।

निर्णय लिया गया है कि प्रतिवादी-राज्य ने विभागीय उम्मीदवारों से सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए 1962 के नियमों के नियम 7(1) में निहित कोटा नियम को अपनाया है और इसने कोई प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं किए हैं, इसे वही देखना बाध्य है। इस प्रकार, प्रतिवादी-राज्य की ओर से याचिकाकर्ताओं या ट्रेजरी के अन्य सहायकों और विभिन्न स्रोतों से जो पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य थे, उन्हें 1962 के नियम 7(1) के आधार पर सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर विचार न करने का मामला अर्बिट्रैरिनेस या भेदभाव से बेहतर नहीं हो सकता है, भले ही ये केवल अनौपचारिक नियुक्तियाँ हों। (पैरा 12)

निर्णय लिया गया है कि 1980 के समूह बी नियमों का विवादित नियम 9, जो नियुक्त दिन यानी 1 नवंबर, 1966 से पहले सेवा में पहले से ही थे, के अलावा याचिकाकर्ता संख्या 2 के अनुप्रयोग के संबंध में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82(6) का उल्लंघन माना जाता है, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने के आधार पर। (पैरा 16)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका प्रार्थना करते हुए कि सर्टियोरी और क्वो वारंटो की प्रकृति में एक रिट द्वारा विवादित आदेशों (एनेक्सर्स पी /1 से पी/3) को निरस्त करने और मैन्डेमस की प्रकृति में एक रिट द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति /नियुक्ति का आदेश देने के लिए निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है, जो सहायकों के हिस्से में आते हैं और इस मामले की परिस्थितियों में इस माननीय अदालत द्वारा उचित और

उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जा सकते हैं, और याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जा सकती है।

आगे यह प्रार्थना की गई है कि इस रिट याचिका के अंतिम निपटान तक, प्रतिवादी संख्या 1 को सहायक अधीक्षक ट्रेजरी से सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के किसी भी पद के खिलाफ कोई नियुक्ति करने से रोका जाए।

इससे आगे यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों पर स्थगन/गति की सूचनाओं को जारी करने और सेवारत करने का आदेश बहुत कृपापूर्वक दिया जाए।

याचिकाकर्ता के लिए आर. पी. बाली, अधिवक्ता।

सुनवाई और तर्क के समय हरियाणा के डी.ए.जी. एस. एस. अहलावत, और निर्णय की घोषणा के समय नहीं, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

जे. एस. सेखों, जे.

(1) इस रिट याचिका में मुख्य विवाद यह है कि क्या सहायक ट्रेजरी अधिकारी (ए.टी.ओ.) के पद की पदोन्नति, जिसे श्रेणी II के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 7 जुलाई, 1970 से प्रभावी होकर इन नियमों से बाहर ले जाने के बावजूद, पंजाब ट्रेजरी स्थापना अधीनस्थ सेवा (श्रेणी III) नियम, 1962, जिसे आगे '1962 के नियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो हरियाणा राज्य में लागू होते हैं, द्वारा शासित होना चाहिए या वही हरियाणा वित्त विभाग ट्रेजरी (समूह बी) सेवा नियम, 1980 द्वारा शासित होगा, जिसे आगे '1980 के नियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82(6) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

(2) इस रिट याचिका के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह है कि याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य के विभिन्न ट्रेजरियों में सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) और सहायक के रूप में कार्यरत हैं और उनकी सेवा शर्तें 1962 के नियमों द्वारा शासित हैं। 1962 के नियमों के नियम 7(1) (ए) के अनुसार सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों के लिए भर्ती 1969 में संशोधित की गई थी। नियम 7(1) (ए) (i) के अनुसार सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के कुल पदों का 50 प्रतिशत निम्नलिखित अनुपात में भरा जाना आवश्यक है:-

(i) सहायक अधीक्षक ट्रेजरी या ट्रेजरी के सहायकों और वित्त विभाग के ट्रेजरी और लेखा शाखा के सहायकों और स्थानीय निधि विभाग के जूनियर लेखा परीक्षकों में से संविदा द्वारा चयन करके, जो नीचे दिए गए अपवाद के अधीन होकर मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री रखते हैं और जिन्होंने कम से कम दो साल की सेवा सहायक या जूनियर लेखा परीक्षक के रूप में निम्नलिखित अनुपात में की है: –

(i) सहायक अधीक्षक ट्रेजरी से 71/2%

(ii) ट्रेजरी के सहायकों से 30%

(iii) वित्त विभाग के ट्रेजरी और लेखा शाखा के सहायकों से 61/2%

(iv) स्थानीय लेखा विभाग के जूनियर लेखा परीक्षकों से 61/4%

सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के कुल पदों का 50%।

नोट: सहायक अधीक्षक ट्रेजरी, जो मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं रखते हैं, वे भी इस खंड के अनुसार सहायक ट्रेजरी अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने कम से कम चार वर्ष की सेवा ऐसे ही की हो।

(3) वित्त विभाग की सूचना, दिनांक 7 जुलाई, 1970 के अनुसार ए.टी.ओ. के पदों को श्रेणी ।।। से श्रेणी ।। राजपत्रित पद में परिवर्तित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार इन पदों की सेवा शर्तें विशेषकर भर्ती की विधि, योग्यता और पदों के कोटा के संबंध में 1962 के नियमों के तहत शासित होती रहीं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि हरियाणा राज्य में कुल 58 पद सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के हैं और इन पदों के विभाजन को सहायकों, सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी), जूनियर लेखा परीक्षकों आदि द्वारा पदोन्नति से भरा गया है। रिट याचिका के पैरा 9 में, याचिकाकर्ताओं ने आगे यह कहा है कि 1979 के अंत तक, जब अंतिम बार ओम प्रकाश को सहायक ट्रेजरी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था, जो पैरा 9 में एस. नं. 42 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादियों ने 1962 के नियमों के अनुसार उपरोक्त चार स्रोतों से पदोन्नति द्वारा सहायक ट्रेजरी अधिकारियों की नियुक्ति की थी। याचिकाकर्ताओं की शिकायत इसके बाद अर्थात, एस. नं. 42 के बाद से सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) से ही सहायक ट्रेजरी अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी 2 से 13 तक, जो सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) के रूप में कार्यरत हैं, को सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया था, - आदेश एनेक्सर्स पी. 1, पी. 2, पी. 3 और पी. 10 के अनुसार, जून से सितंबर, 1980 तक, हालांकि इन प्रतिवादियों में से कोई भी स्नातक होने की आवश्यक योग्यता नहीं रखता था, और इसलिए, उन्हें सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों के लिए विचार किया जाना भी संभव नहीं था। यह और भी उजागर किया गया है कि सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए कोटा नियम का पालन नहीं किया गया था।

(4) यह और भी कहा गया है कि 1980 के समूह बी नियमों के लागू होने के साथ ही, सहायकों की सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर पदोन्नति की संभावनाएं पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई हैं और यह याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तों में शत्रुतापूर्ण परिवर्तन के समान है, जिनके पदोन्नति के लिए विचार के कानूनी अधिकार को इन नियमों की घोषणा से पूरी तरह से छीन लिया गया है। इस प्रकार, ये नियम पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले माने जाते हैं क्योंकि केंद्र सरकार की पूर्व सहमति नहीं ली गई थी। वैकल्पिक रूप में, यह बनाए रखा गया है कि 1980 के नियमों का प्रतिकूल प्रचालन निश्चित रूप से अवैध है और इससे भेदभाव के साथ-साथ मनमानापन भी हुआ है और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं ने विवादित आदेशों एनेक्सर्स पी. 1 से पी. 3 और पी. 10 के साथ-साथ 1980 के नियमों को रद्द करने की मांग की थी।

(5) यह याचिका प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि 1962 के नियम 'श्रेणी III' की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद को श्रेणी II में परिवर्तित करने के कारण ये नियम अब लागू नहीं होते। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों को प्रत्यक्ष भर्ती सहित सभी श्रेणियों से अस्थायी आधार पर भरा जाना तय किया गया था, लेकिन विभाग का अनुभव था कि सहायकों के पास इन पदों को संभालने के लिए पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता नहीं है। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया कि सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के रिक्त पदों को सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) के बीच से भरा जाए, जिनके पास सभी प्रकार का अनुभव है और वे सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं। इन पदों को नियमित आधार पर भरने के संबंध में मामला अब 1980 के नियमों के अनुसार सुलझाया जाएगा और प्रत्यक्ष कोटा के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। यह भी कहा गया था कि नियमों के अंतिम निर्धारण के इंतजार में किए गए प्रतिवादियों के पदोन्नतियों में कोई अनियमितता नहीं है और सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) स्नातक न होने के बावजूद 1952 के नियम 7.1 के नोट के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, हालांकि ये नियम सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद को श्रेणी II में परिवर्तित करने के कारण अप्रचलित हो गए हैं। सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) द्वारा प्राप्त अनुभव को भी उनकी सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के संबंध में बल दिया गया था। यह भी बनाए रखा गया था कि केवल सहायकों की सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति की संभावनाएं कम हो गई थीं और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82(6) के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी से पहले 1980 के नियमों को बनाने की जरूरत नहीं थी।

(6) याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर प्रतिक्रिया में, यह बनाए रखा गया है कि सी.डब्ल्यू.पी. नं. 4608 ऑफ 1985 शीर्षक मोहन लाल बनाम हरियाणा राज्य आदि में प्रतिवादी का रुख पैराग्राफ 8 और 15 (iii) में पूरी तरह अलग था, जैसा कि वहां प्रतिवादियों ने कहा था कि 7 जुलाई, 1970 से

16 नवंबर, 1980 तक, सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों की सेवा शर्तें यद्यपि श्रेणी II में परिवर्तित की गई थीं, तो भी 1962 के नियमों द्वारा शासित होती रहीं और वित्त विभाग के ट्रेजरी और लेखा शाखा के सहायकों से नियुक्तियां जारी रहीं, जबकि सर्वश्री जे. के. खेतरपाल और 19 अन्य सहायक ट्रेजरी अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करते हुए। याचिकाकर्ताओं ने उस रिट याचिका के लिखित बयान की प्रति एनेक्सर पी.10 के रूप में संलग्न की थी, साथ ही सरकार, हरियाणा, वित्त विभाग के सचिव द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 1987 (एनेक्सर पी.11) के आदेश की प्रति भी संलग्न की थी।

(7) पक्षकारों के विद्वान वकीलों की सुनवाई के बाद और रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद, इस अदालत ने याचिकाकर्ताओं की लिपिक के रूप में नियुक्ति की तिथियों और सहायकों के रूप में उनकी पदोन्नति की तिथियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की। इसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस जानकारी को जगदीश लाल याचिकाकर्ता संख्या 5 के विधिवत सत्यापित हलफनामे द्वारा समर्थित किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया, जिसके अनुसार 1962 के नियमों के 17 नवंबर, 1969 को संशोधित होने के बाद, ट्रेजरी में काम करने वाले स्नातक सहायकों को भी सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए 30 प्रतिशत कुल पदों के खिलाफ हकदार बनाया गया था और यह कोटा 16 नवंबर, 1980 तक बनाए रखा गया था और 23 जून, 1979 से 9 अक्टूबर, 1980 तक पदोन्नतियाँ ड्राफ्ट सेवा नियमों के तहत की गईं जो 17 नवंबर से प्रभावी हुए। यह और स्पष्ट किया गया है कि नए नियमों के तहत, स्थानीय लेखा विभाग का कोटा 6 1/4 प्रतिशत था और ट्रेजरी और लेखा विभाग का कोटा (सिर्फ मुख्यालय में कार्यरत स्नातक सहायकों) 64 प्रतिशत समाप्त कर दिया गया था और यह कोटा ट्रेजरी संगठन को दिया गया था, जिसका याचिकाकर्ता सदस्य हैं। इससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति के अवसर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिए गए हैं, एकमात्र अंतर यह है कि उन्हें हरियाणा ट्रेजरी स्थापना समूह सी सेवा नियम, 1960 के नियम 9 (1j) के अनुसार सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) के पदों के माध्यम से चैनलाइज़ किया जाना है। यह भी उजागर किया गया कि सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के केवल 40 नियमित पद थे, जबकि याचिकाकर्ताओं का दावा था कि 55 पद थे। इन नियमित पदों में से केवल 12 पद याचिकाकर्ताओं के लिए थे, जबकि 21 पद ट्रेजरी के सहायकों द्वारा संचालित किए जा रहे थे। इस प्रकार, वे अपने कोटा से अधिक 9 पदों पर काम कर रहे थे और अंत में इन 9 व्यक्तियों को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के शामिल होने पर वापस भेजा जाना था। यह भी कहा गया था कि 22 जून, 1979 से 9 अक्टूबर, 1980 की अवधि में अपने कोटा से अधिक पदोन्नत किए गए कुछ सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) को भी वापस भेजा जाना है क्योंकि ये अधिकारी दोनों श्रेणियों के प्रत्यक्ष भर्ती के लिए नियत पदों के खिलाफ काम कर रहे थे। यह भी बनाए रखा गया कि प्रत्यक्ष भर्ती के लिए नियत पदों के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण, कुछ अस्थायी व्यवस्था की जानी थी जिसके तहत दोनों श्रेणियों के अधिकारी, यानी स्नातक सहायक

और सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) को सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किया जाना था। यदि याचिकाकर्ताओं को अन्य सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) के साथ पदोन्नत किया गया होता, तो वे भी अन्य लोगों की तरह वापस भेजे जाते। हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय के कारण वरिष्ठता सूची के संशोधन के बाद, श्री टेक चंद जैन (याचिकाकर्ता संख्या 1) को नियमित आधार पर सहायक ट्रेजरी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था, - आदेश दिनांक 24 नवंबर, 1982 (14 जून, 1980 को पदोन्नति की मान्यता प्राप्त तिथि के रूप में)।

(8) दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 ने सी.डब्ल्यू.पी. नं. 4608 ऑफ 1985 (मोहन लाल बनाम राज्य हरियाणा आदि) में अपनाए गए रुख से बिलकुल अलग रुख अपनाया है। इस रिट याचिका में दायर लिखित बयान में यह बताया गया है कि 1962 के नियम 7 जुलाई, 1970 से श्रेणी III के पदों को श्रेणी II में परिवर्तित करने के बाद सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के संबंध में अप्रचलित हो गए हैं और उसी तारीख से 7 जुलाई, 1970 से 18 नवंबर, 1980 तक जब नए 1980 के समूह बी सेवा नियम लागू हुए थे, तब तक सरकारी निर्देशों के आधार पर पदोन्नतियाँ की गईं, जिसमें सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) को सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए अधिक उपयुक्त माना गया, जबकि सी.डब्ल्यू.पी. नं. 4608 ऑफ 1985 में प्रतिवादियों की ओर से दायर लिखित बयान में, पैराग्राफ 4 में, प्रतिवादी संख्या 1 ने यह रुख अपनाया था कि 7 जुलाई, 1970 से 16 नवंबर, 1980 की अवधि के दौरान यह तय किया गया था कि सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों को पंजाब ट्रेजरी स्थापना अधीनस्थ सेवा (श्रेणी III) नियम, 1962 के नियम 7 के तहत निर्धारित विभिन्न कोटा से भरा जाए, जिन्हें कार्यपालिका निर्देशों के रूप में माना जाए और इस निर्णय के अनुसार 50 प्रतिशत पद प्रत्यक्ष भर्ती के लिए और 50 प्रतिशत पद सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के जो 7 जुलाई, 1970 से 16 नवंबर, 1980 की अवधि के दौरान रिक्त हो गए थे, उन्हें उस नियम के तहत निर्धारित प्रतिशतों के अनुसार विभागीय अधिकारियों से भरा जाए।

(9) दो रिट याचिकाओं में प्रतिवादी-राज्य द्वारा इस समान विवाद पर लिया गया विरोधाभासी रुख समझ में आता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तर्क देने के बाद, प्रतिवादी-राज्य ने समझदारी दिखाई और 20 दिसंबर, 1988 को हरियाणा, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव का एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया, जिसके अनुसार 30 प्रतिशत कोटा स्नातक सहायकों का सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए 16 नवंबर, 1980 तक बनाए रखा गया था, लेकिन 23 जून, 1979 से 9 अक्टूबर, 1980 के बीच पदोन्नतियाँ ड्राफ्ट सेवा नियमों के तहत की गईं जो 17 नवंबर, 1980 से प्रभावी हुईं।

(10) इस वर्तमान रिट याचिका के विभिन्न चरणों में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनाया गया इस अस्थिर रुख और मोहन लाल द्वारा दायर रिट याचिका में स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 7 जुलाई, 1970 से 1980 के नियमों के प्रभावी होने तक की अवधि में सहायक ट्रेजरी अधिकारियों

के पदों पर विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे। दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य ने 1962 के नियम 7 में निहित दिशा-निर्देशों को विभागीय निर्देशों के रूप में मानते हुए, ट्रेजरी के स्नातक सहायकों और अन्यों के साथ-साथ सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) की श्रेणी से 1962 के नियम 7 (1) के प्रावधानों के तहत पदोन्नतियाँ जारी रखीं।

(11) नियम 7 (1) (ए) को 1969 में संशोधित किया गया था और उपरोक्त चार स्रोतों से विभागीय पदोन्नति का प्रतिशत इस प्रकार संशोधित किया गया था: —

(i) सहायक अधीक्षक ट्रेजरी से 7 1/2 प्रतिशत

(ii) ट्रेजरी के सहायकों से 30 प्रतिशत

(iii) वित्त विभाग के ट्रेजरी और लेखा शाखा के सहायकों से 6 1/4 प्रतिशत

(iv) स्थानीय लेखा विभाग के जूनियर लेखा परीक्षकों से 6 1/4 प्रतिशत

इस नियम की सादे परीक्षण से यह संदेह नहीं रहता कि सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों को श्रेणी III के पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और ऐसे पदों का 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती से भरा जाना था, जिसकी सिफारिश हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी, और 50 प्रतिशत पदोन्नतियाँ उपरोक्त चार विभागीय स्रोतों से की जानी थीं। इसके अलावा, यह प्रतीत होता है कि ट्रेजरी और लेखा शाखा आदि के सहायकों के मामले में, मूल योग्यता एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री और सहायक के रूप में दो वर्ष की न्यूनतम सेवा थी, लेकिन सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) के मामले में, नियम 7 (1) के नीचे लगे नोट में उपयुक्त मामलों में स्नातक योग्यता की छूट का प्रावधान था। पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है कि यहां तक कि सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों को श्रेणी III से श्रेणी II में परिवर्तित करने के बाद भी, नवंबर, 1979 तक पदोन्नतियाँ उपरोक्त चार विभागीय स्रोतों से निर्धारित कोटा को ध्यान में रखते हुए की जाती रहीं। याचिका के पैरा 9 में दिए गए विभाजन में एस. नं. 42 पर श्री ओम प्रकाश ट्रेजरी में काम कर रहे सहायकों से सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर अंतिम नियुक्ति थे। उसके बाद एस. नं. 42 से 58 तक, सभी पदोन्नतियाँ सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) से सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर की गईं, जो 1962 के नियमों के नियम 7 (1) में निहित कोटा नियम का उल्लंघन था। राज्य सरकार की यह कार्रवाई उचित नहीं मानी जा सकती या मनमानेपन की दोष से बच नहीं सकती सिर्फ इस आधार पर कि ये अस्थायी या स्टॉप गैप नियुक्तियाँ थीं, जब तक 1980 के समूह बी नियम 17 नवंबर, 1980 से प्रभावी होते, क्योंकि यह कार्रवाई मनमानेपन की गंध देती है और विभिन्न चरणों में अलग-अलग मानदंडों को अपनाने के लिए सरकार की मनमर्जी के अनुरूप की गई थी। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि नवंबर 1979 के बाद, जब ओम प्रकाश को सहायकों की श्रेणी से सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था, ट्रेजरी के सहायकों की श्रेणी में आने वाले याचिकाकर्ताओं का अधिकार सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए

पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। इसके अलावा, सरकार की उपरोक्त कार्रवाई 1962 के नियमों के नियम 7 (1) की भावना के विरुद्ध है जिसे स्वीकार्य रूप से विभागीय निर्देशों के रूप में अपनाया गया था, लेकिन अजीब बात यह है कि नवंबर 1979 के बाद इस नियम की भावना को देखते हुए अचानक परिवर्तन उस कथित तर्क पर आ गया कि सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) के पास सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों को संभालने के लिए बेहतर और अमीर अनुभव था, यहां तक कि अस्थायी आधार पर भी। उच्चतम न्यायालय ने संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य[1] मामले में कहा है कि सरकारी निर्देश किसी भी नियम की अनुपस्थिति में नियमों को पूरक कर सकते हैं और जब तक वैधानिक नियम बनाए नहीं जाते हैं, तब तक लागू हो सकते हैं। निर्णय के पैराग्राफ 6 में निम्नानुसार कहा गया है: –

> "हम श्री एन. सी. चटर्जी की अगली दलील पर विचार करते हैं कि चयन ग्रेड पदों पर पदोन्नति के लिए किसी वैधानिक नियम की अनुपस्थिति में सरकार प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है और ऐसे प्रशासनिक निर्देश पहले से बने नियमों में नहीं पाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध को लागू नहीं कर सकते हैं। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। यह सच है कि नियमों में जूनियर या सीनियर ग्रेड अधिकारियों को चयन ग्रेड पदों पर पदोन्नति के सिद्धांत के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस बारे में वैधानिक नियम बनाए जाने तक सरकार चयन ग्रेड पदों पर अधिकारियों के पदोन्नति के सिद्धांत के बारे में प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं कर सकती है। यह सच है कि सरकार वैधानिक नियमों को प्रशासनिक निर्देशों द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं कर सकती है, लेकिन अगर नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं तो सरकार गैप्स को भर सकती है और नियमों को पूरक कर सकती है और पहले से बने नियमों के विरुद्ध न होने वाले निर्देश जारी कर सकती है।"

(12) इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय के अवलोकनों के प्रकाश में, यह मानना अनिवार्य है कि प्रतिवादी-राज्य ने विभागीय उम्मीदवारों से सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए 1962 के नियमों के नियम 7 (1) में निहित कोटा नियम को अपनाया था और इसने कोई प्रशासनिक निर्देश जारी नहीं किए थे, इसे वही देखना बाध्य था। इस प्रकार, प्रतिवादी-राज्य की ओर से याचिकाकर्ताओं या ट्रेजरी के अन्य सहायकों और विभिन्न स्रोतों से जो पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए योग्य थे, उन्हें 1962 के नियम 7 (1) के आधार पर सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर विचार न करने का मामला अर्बिट्रैरिनेस या भेदभाव से बेहतर नहीं हो सकता है, भले ही ये केवल अनौपचारिक नियुक्तियाँ हों।

(13) अतिरिक्त हलफनामे में प्रतिवादी-राज्य का यह रुख कि यदि किसी सहायक जो ट्रेजरी में काम कर रहा हो या याचिकाकर्ताओं में से किसी को भी सहायक ट्रेजरी अधिकारी के रूप में अनौपचारिक आधार पर पदोन्नत किया गया होता, तो यह बेमानी होता क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष

---

[1] 1967 एस.एल.आर. 906.

स्रोत से भर्ती के बाद वापस भेजा जाना था, जिसे विभागीय प्रमोटीज पहले अनौपचारिक आधार पर संभाल रहे थे क्योंकि यह घोड़े से पहले गाड़ी लगाने के समान होता। दूसरी ओर, सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर अनौपचारिक नियुक्तियाँ निश्चित रूप से बेहतर वेतनमान, बेहतर सुविधाएं और सेवा की शर्तें प्रदान करतीं। इस विचार का समर्थन दिल्ली उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के निर्णय में ओ. पी. गुप्ता बनाम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और अन्य[2] मामले में किया गया है। निर्णय के पैराग्राफ 38 में इस विवाद का निम्नानुसार समाधान किया गया है: –

> "अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन की शिकायत कर रहा है जो पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह कहना कोई उत्तर नहीं है कि क्योंकि समय-समय पर नियमों के अंतिम रूप में आने तक केवल अनौपचारिक आधार पर नियुक्तियाँ की गई थीं, अपीलकर्ता को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का कोई अधिकार नहीं था। नियुक्ति का स्वरूप चाहे जो भी हो, स्थायी, अस्थायी या अनौपचारिक, पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्ति का विचार किए जाने का अधिकार होता है।"

(14) 1980 के नियमों के प्रतिकूल प्रचालन के बारे में, यह प्रतीत होता है कि नियमों में से कोई संकेत नहीं मिलता है कि ये प्रतिकूल रूप से प्रचालित होंगे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में यह बताया गया है कि नवंबर 1979 से आगे, सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर अनौपचारिक पदोन्नतियाँ सहायक अधीक्षकों (ट्रेजरी) से ड्राफ्ट सेवा नियमों के आधार पर की गईं, जो अंततः 17 नवंबर, 1980 से प्रभावी हो गईं। इस प्रकार, अगर प्रतिवादी संख्या 1 के लिखित बयान में मूल रुख को माना जाए, तो 7 जुलाई, 1970 से 17 नवंबर, 1980 तक नियमों को प्रतिकूल रूप से प्रभावी बनाया गया है क्योंकि सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नतियाँ 1980 के नियमों के तहत नियमित की जाएंगी। उच्चतम न्यायालय ने टी. आर. कपूर और अन्य बनाम राज्य हरियाणा और अन्य[3] मामले में पैराग्राफ 16 में निम्नानुसार निर्णय दिया था: –

> "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के तहत सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति में नियमों को प्रतिकूल प्रभाव के साथ संशोधित या बदलने की शक्ति शामिल है: बी. एस. वधेरा बनाम भारतीय संघ (1968)3 एससीआर 571, राज कुमार बनाम भारतीय संघ (1975) 3 एससीआर 963, के. नागराज और अन्य बनाम राज्य ए.पी. और अन्य (1985)1 एससीसी 523 और राज्य जम्मू और कश्मीर बनाम त्रिलोकी नाथ खोलसा और अन्य (1974) 1 एससीआर 771। यह समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि कोई भी नियम जो किसी

[2] 1973 (1) एस.एल.आर. 209.

[3] 1984 (4) एस.एल.आर. 155.

व्यक्ति के पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को प्रभावित करता है, वह सेवा की शर्त है, हालांकि केवल पदोन्नति के अवसर नहीं हो सकते हैं। यह आगे कहा जा सकता है कि पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने में सक्षम प्राधिकारी, योग्यता बदलने में भी सक्षम है। पदोन्नति के लिए योग्यता और उपयुक्तता को परिभाषित करने वाले नियम, सेवा की शर्तें हैं और इन्हें प्रतिकूल प्रभाव के साथ बदला जा सकता है। हालांकि, यह नियम मौजूदा नियमों के तहत प्राप्त लाभों को प्रतिकूल प्रभाव के साथ संशोधन द्वारा छीने जाने के एक सुस्थापित सिद्धांत के अधीन है, अर्थात्, अनुच्छेद 309 के उपबंध के तहत ऐसा कोई नियम बनाने की शक्ति नहीं है जो अधिकारों या पूर्वार्जित अधिकारों को प्रभावित या खराब करता है। इसलिए, जब तक नियमों में विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, नियमों के संशोधन से पहले पहले ही पदोन्नत किए गए कर्मचारियों को वापस नहीं भेजा जा सकता है और उनकी पदोन्नतियाँ वापस नहीं ली जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने वाले ऐसे नियमों को प्रतिकूल प्रभाव के साथ बनाया जाना चाहिए और इन्हें संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 (1) के परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिए: राज्य मैसूर बनाम एम. एन. कृष्णा मूर्ति और अन्य, (1973) 2 एससीआर 575, बी. एस. यादव और अन्य बनाम राज्य हरियाणा और अन्य (1981) 1 एस.सी.आर. 1924, राज्य गुजरात और अन्य बनाम रमनलाल केशवलाल सोनी और अन्य, (1983) 2 एस.सी.आर. 287 और पूर्व कैप्टन के. सी. अरोड़ा और अन्य बनाम राज्य हरियाणा और अन्य (1984) 3 एस.सी.आर. 623।"

(14) उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमों के प्रतिकूल प्रचालन के बारे में उपर्युक्त निर्देशों के प्रकाश में, यह प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी के पास संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है, जिसमें नियमों को प्रतिकूल प्रभाव के साथ संशोधित या बदलने की शक्ति भी शामिल है, लेकिन ऐसे प्रतिकूल प्रचालन को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के परीक्षणों को संतुष्ट करना चाहिए। यह आगे टिप्पणी की गई थी कि किसी व्यक्ति का पदोन्नति के लिए विचार किया जाना सेवा की शर्त है, हालांकि केवल पदोन्नति के अवसर नहीं हो सकते हैं। उपर्युक्त मामले में, प्रतिकूल प्रभाव के साथ योग्यता निर्धारित करने वाली सूचना को निरस्त किया गया था क्योंकि इसने याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए अपात्र बना दिया था। इस मामले में भी, प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार, अगर सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर अनौपचारिक पदोन्नतियाँ 17 नवंबर, 1980 को प्रभावी हुए 1980 के नियमों के तहत नियमित की जानी हैं, तो यह याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तों को प्रभावित करेगा, क्योंकि 1962 के नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता जो ट्रेजरी या ट्रेजरी और लेखा शाखा आदि में सहायक के रूप में पदस्थापित थे, उन्हें 1962 के नियम 7(1) में निहित उनके कोटा के अनुसार सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति

के लिए पात्र माना गया था जबकि 1980 के नियमों ने सहायकों सहित याचिकाकर्ताओं को सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए अपात्र बना दिया था।

(15) हरियाणा वित्त विभाग (समूह बी) सेवा नियम, 1980 की वैधता के बारे में, जो 17 नवंबर, 1980 को प्रभावी हुए, यह प्रतीत होता है कि नियम 9(1) (बी) के तहत सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति का प्रावधान इस प्रकार है: –

(i) 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा सहायक अधीक्षक ट्रेजरीज के बीच से।

(ii) 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि ट्रेजरी में काम कर रहे सहायक, वित्त विभाग के ट्रेजरी और लेखा शाखा के सहायक को इन नियमों के विरुद्ध सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति से रोक दिया गया है। श्री आर. पी. बाली, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 1980 के नियमों ने याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति के अवसरों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है जिससे उनकी सेवा की शर्तों पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी। दूसरी ओर, श्री एस. एस. अहलावत, डी.ए.जी.(एच) ने बनाए रखा कि ट्रेजरीज और अन्य स्थानों में काम कर रहे सहायकों के पदोन्नति के अवसर 17 दिसंबर, 1980 को प्रभावी हुए हरियाणा ट्रेजरी स्थापना अधीनस्थ समूह सी सेवा नियम 1980 के मद्देनजर बढ़ गए हैं क्योंकि नियम 9(1) (ए) के तहत यह प्रदान किया गया है कि सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) के शत प्रतिशत पद ट्रेजरीज और लेखा और अंकेक्षण विभाग (मुख्यालय) में काम कर रहे सहायकों के बीच से भरे जाएंगे और इस प्रकार सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर आगे पदोन्नति के लिए केवल एक कदम था और इसने याचिकाकर्ताओं या अन्य सहायकों के पदोन्नति के अवसरों को कम कर दिया था जो सेवा की शर्त के बराबर नहीं होता है। स्वीकार्य है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, 3-7 पंजाब के पूर्व राज्य में 1 नवंबर, 1966 को नियत दिन के रूप में लिपिक के रूप में सेवा में थे और 1962 के नियमों द्वारा शासित थे। राम निवास, याचिकाकर्ता संख्या 2, 9 सितंबर, 1971 को लिपिक के रूप में शामिल हुए। 1962 के नियमों के नियम 7 के तहत, ट्रेजरी और अन्य शाखाओं में काम कर रहे सहायक सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र थे, जिसमें सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) भी शामिल थे, हालांकि उस समय सहायक ट्रेजरी अधिकारी का पद भी श्रेणी III का माना जाता था। 7 जुलाई, 1970 से सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद को श्रेणी II में परिवर्तित किया गया था। इसके बाद भी, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे के अनुसार नवंबर 1979 तक जब ओम प्रकाश, एस. नं. 42 पर, सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए गए थे, तब तक 1962 के नियमों के नियम 7 (1) के तहत उल्लिखित कोटा नियम का पालन किया गया था, लेकिन 1980 के नियम 9 (1) (बी) के तहत, सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के 50 प्रतिशत पदों को सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) से पदोन्नति द्वारा भरा जाना अनिवार्य था, जो बदले में यह संकेत देता है कि ट्रेजरी या अन्य प्रतिष्ठानों में काम कर रहे

सहायकों को पूरी तरह से सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से अनदेखा कर दिया गया है। इस प्रकार, यह निश्चित रूप से उपरोक्त सहायकों सहित याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तों को उनके नुकसान के लिए बदलने के समान होगा क्योंकि उनके सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के अवसर पूरी तरह से मिटा दिए गए थे। केवल इसलिए कि 17 दिसंबर, 1980 को प्रभावी हुए हरियाणा ट्रेजरी स्थापना अधीनस्थ समूह सी सेवा नियम 1980 के नियम 9 (1) (ए) के तहत यह प्रदान किया गया था कि सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) के शत प्रतिशत पद ट्रेजरीज और लेखा विभाग (मुख्यालय) में काम कर रहे सहायकों के बीच से भरे जाएंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि संशोधित नियमों ने केवल ट्रेजरी में काम कर रहे सहायकों के सहायक ट्रेजरी अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के अवसरों को कम कर दिया है क्योंकि चैनल में एक कदम का परिचय, यानी, सहायक अधीक्षक (ट्रेजरी) के पद पर पदोन्नति, सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर पदोन्नति के बीच में ट्रेजरीज और अन्य में काम कर रहे सहायकों के सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पद पर पदोन्नति के अवसरों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। इस प्रकार, यह निश्चित रूप से सेवा की शर्तों को प्रभावित करेगा क्योंकि यह एक स्थापित कानून है कि किसी व्यक्ति का पदोन्नति के लिए विचार किया जाना सेवा की शर्त है, हालांकि केवल पदोन्नति का मौका नहीं हो सकता है। उच्चतम न्यायालय में टी. आर. कपूर के मामले में उपरोक्त विचार (सुप्रा) इस संबंध में फिर से भरोसा किया जा सकता है। यदि ऐसा है, तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 115 (7) के तहत जारी किए गए निर्देशों के आधार पर केंद्र सरकार की ऐसी पूर्व अनुमति को माना जाएगा या नहीं, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद शुजात अली और अन्य बनाम भारतीय संघ[4] मामले में देखा गया था, टी. आर. कपूर के मामले में (सुप्रा) निर्णय के पैराग्राफ 12 में इस प्रकार सुलझाया गया था।

> "यह नहीं सुझाया गया है कि राज्य सरकार ने कभी केंद्र सरकार से संपर्क किया हो श्रेणी । नियमों के नियम 6(बी) में प्रस्तावित संशोधन के लिए उसकी पूर्व अनुमति मांगी हो। इस संबंध में यह याद दिलाना आवश्यक है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्य के पुनर्गठन से पहले, प्रभावित होने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों की दिल्ली में 18 और 19 मई, 1956 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ताकि सेवाओं के एकीकरण के लिए सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। भारत सरकार ने 11 मई, 1957 को सभी राज्य सरकारों को जारी अपने परिपत्र में अन्य बातों के अलावा यह बताया था कि राज्य प्रतिनिधियों की ओर से व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होने पर यह उपयुक्त नहीं होगा कि विभागीय पदोन्नति के मामले में कोई सुरक्षा प्रदान की जाए। इस परिपत्र को अधिनियम की धारा 115 (7) के उपबंध के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के रूप में व्याख्यायित किया गया है, जो विभागीय पदोन्नति

[4] ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 1631.

से संबंधित सेवा की शर्तों में परिवर्तन के मामले में है। हालांकि, ये विचार वर्तमान मामले में नहीं उठते हैं। स्वीकार्य है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1996 के तहत राज्यों के पुनर्गठन से पहले जैसा मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ था। न ही केंद्र सरकार द्वारा कोई संचार जारी किया गया था जिसमें पंजाब और हरियाणा राज्यों द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (6) के उपबंध के तहत किए जाने वाले सेवा की शर्तों में परिवर्तनों की पूर्व अनुमति के बारे में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई हो। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत भी, संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध के तहत राज्यपाल द्वारा नियम बनाने की शक्ति को पूर्व अधिनियम की धारा 115 (7) के उपबंध और बाद वाले की धारा 82 (बी) द्वारा नियंत्रित किया गया था। इससे यह अनुसरण होता है कि अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) या (2) में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति के मामले में नियुक्त दिन से तत्काल पहले लागू सेवा की शर्तों को उसके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता है, सिवाय इसके कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त हो। ऐसा होने पर, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विवादित सूचना जिसने 10 जुलाई, 1964 से प्रभावी श्रेणी I नियमों के नियम 6 (बी) को संशोधित किया था जिसने श्रेणी II सेवा के सदस्यों को जो डिप्लोमा धारक हैं जैसे याचिकाकर्ता, कार्यकारी अभियंता के पद पर श्रेणी I सेवाओं में पदोन्नति के लिए पात्र बनाया था, जिसमें इंजीनियरिंग में डिग्री को ऐसी पदोन्नति के लिए अनिवार्य बनाया गया था, हालांकि वे उस वर्ग की सेवा में 8 वर्षों की अनुभव की पात्रता की शर्त को पूरा करते थे, को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (6) के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अल्ट्रा वायरेस के रूप में खारिज किया जाना चाहिए।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अवलोकनों के प्रकाश में, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए शर्त की कोई शक्ति नहीं है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 115 (7) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी सामान्य निर्देश इस विवाद को कवर करेंगे।

(16) उपरोक्त कारणों से, उत्तरदाताओं 2 से 13 को सहायक अधीक्षक (कोषागार) से सहायक कोष अधिकारी के पदों पर पदोन्नत करने वाले पदोन्नति के आदेश, अनुलग्नक पी.1, पी.2, पी.3 और पी.10 को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। इस रिट याचिका को स्वीकार करके। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 के मामलों पर पुनर्विचार करेगा इस आदेश की प्राप्ति के 3 महीने के भीतर 1962 के नियम 7 (1) में सन्निहित कोटा नियम के अनुसार सहायक ट्रेजरी अधिकारी के पदों पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं 2 से 13 तक। 1980 ग्रुप बी नियमों का विवादित नियम 9 याचिकाकर्ता संख्या 2 को छोड़कर अन्य याचिकाकर्ताओं पर लागू होता है, जो पहले से ही सेवा में हैं। नियत दिन यानी 1 नवंबर, 1966 से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी नहीं लेने के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 82 (6) का उल्लंघन माना जाता है।

(17) रिट याचिका को केवल प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ लागत के साथ ऊपर बताई गई सीमा तक ही अनुमति दी गई है, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता को आनुपातिक रूप से किया जाएगा। लागत 1000 रुपये के रूप में पहचानी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकार
हिसार, हरियाणा